TELEVISION UPLINK & DOWNLINK – THE EMERGING CHALLENGES

Television uplink and downlink guidelines have changed and now the new norms have brought in overall ease and relaxed the earlier norms.

UPLINKING OF SIGNALS OF TV CHANNELS

The uplinking of TV channels to satellite from Indian Territory has always been under the control of the Government. Initially, only those Indian companies which had a minimum of 80% Indian equity coupled with effective Indian management control were allowed to uplink TV channels from Indian soil. Further, they could uplink only through Videsh Sanchar Nigam Limited (VSNL) (a state owned enterprise at that time). This restriction was relaxed in the year 1999 when the Government allowed Indian companies to uplink without mandatory use of VSNL facilities. In July 2000, the Government of India notified the "Guidelines for Uplinking from India" wherein the policy framework was further liberalised, as all Indian companies irrespective of their ownership and management control were allowed to uplink from India.

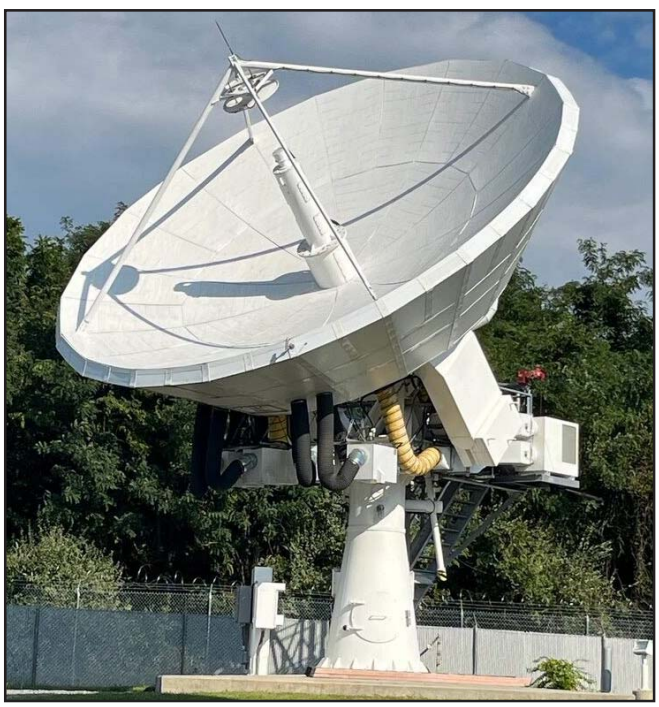

It may also be pertinent to mention here that at that point of time there was no categorisation of a TV channel. This was followed by "Guidelines for uplinking of News and Current Affairs TV Channels from India" in March 2003, which categorised TV channels into two categories namely "News and current affairs" and "Non-News and current affairs".

टेलीविजन अपलिंक और डाउनलिंक – उभरती चुनौतिया

टेलीविजन अपलिंक और डाउनलिंक दिशानिर्देश बदल गये हैं और अब नये मानदंडों ने समग्र रूप में सहजता ला दी है और पहले के मानदंडों में ढील दे दी है।

टीवी चैनलों के सिगनल को अपलिंक करना

भारतीय क्षेत्र से टीवी चैनलों को सैटेलाइट से अपलिंक करना हमेशा सरकार के नियंत्रण में रहा है। प्रारंभ में, केवल उन्हीं भारतीय कंपनियों को अनुमति दी गयी थी जिनके पास प्रभावी भारतीय प्रबंधन नियंत्रण के साथ न्यूनतम 80% भारतीय इक्विटी थी, उन्हें भारतीय धरती से टीवी चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति थी। इसके अलावा, वे केवल विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) (उस समय एक राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम) के माध्यम से अपलिंक कर सकते थे। इस प्रतिबंध में वर्ष 1999 में ढ़ील दी गयी जब सरकार ने भारतीय कंपनियों को वीएसएनएल सुविधाओं के अनिवार्य उपयोग के बिना अपलिंक करने की अनुमति दी। जुलाई 2000 में भारत सरकार ने 'भारत से अपलिंकिंग के लिए दिशा–निर्देशः अधिसूचित किये', जिसमें नीति ढ़ांचे को और उदार बनाया गया, क्योंकि सभी भारतीय कंपनियों को उनके स्वामित्व और प्रबंध नियंत्रण के बावजूद भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी गयी। यहां यह बताना भी उचित होगा कि उस समय टीवी चैनल का कोई वर्गीकरण नहीं था। इसके बाद मार्च 2003 में 'भारत से समाचार और सामयिक मामलों के टीवी चैनलों की अपलिंक करने के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये जिसमें टीवी चैनलों को 'समाचार और समसामयिक मामले' और 'गैर समाचार और समसामयिक मामले' नामक दो वर्गो में वर्गीकृत

An addendum was added, on 01.4.2005, to these guidelines for bringing up a policy framework for granting permission for use of SNG/DSNG systems by Indian companies. Some amendments were made in uplinking guidelines, from time to time, to make them consistent with the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Act, 2007 and to bring them in line with the extant FDI Policy of the Government.

The Government, in supersession of all previous guidelines, laid down a consolidated uplinking guidelines. These came into effect from 5th December, 2011. The consolidated uplinking guidelines dated 5th December, 2011 are available at Annexure-gg. These guidelines envisage five types of activities which require prior permission from the Government. These are detailed below:-

(i) Uplinking of TV channels:

This permission is required when a company wants to uplink signals of a TV channel to the satellite from the territory of India. This permission is further categorised based upon the nature of programmes to be broadcasted by a TV Channel. Presently, the TV channels have been categorised in two categories namely, "News & Current Affairs" and "Non-News & Current Affairs". The separate eligibility conditions have been prescribed for uplinking of signals of each of the category of TV channels. For uplinking of a TV channel, the applicant Company is required to enclose with the application, among other things, a copy of the agreement with a teleport operator (in case of a third party teleport) and a satellite company for transmission of TV channel to be permitted.

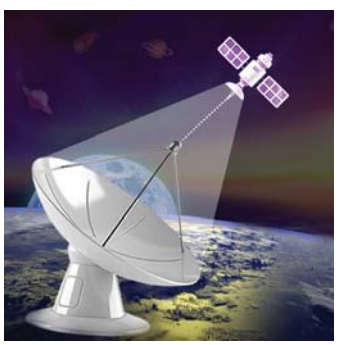

(ii) Setting up of uplinking hub/teleports:

For uplinking of signals of TV channels to the satellite, broadcaster can setup its own uplinking hub/ teleport or use the services of hub/teleport infrastructure service providers. In both the cases, a separate permission is required for setting up of the uplinking hub/teleport. Such permission is granted purely for providing infrastructure service to permission holders for uplinking of signals of TV channels.

(iii) Uplinking by News Agency:

This type of permission is required when a company engaged in the activity of gathering news wants to uplink events for further distribution to other news agencies/ broadcasters only.

किया गया। भारतीय कंपनियों द्वारा एसएनजी/डीएसएनजी प्रणालियों के उपयोग की अनुमति देने के लिए एक नीतिगत ढ़ांचा तैयार करने के लिए इन दिशा निर्देशों में **01.4.2005** को एक परिशिष्ट जोड़ा गया था। समय-समय पर अपलिंकिंग दिशा-निर्देशों में कुछ संशोधन किये गये, ताकि उन्हें स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम **2007** के अनुरूप बनाया जा सके और ताकि उन्हें सरकार के मौजूदा एफडीआई नीति के अनुरूप लाया जा सके।

सरकार ने पिछली सभी दिशा-निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए एक समेकित अपलिंकिंग दिशा-निर्देश निर्धारित किये। ये **5** दिसंबर **2011** से लागू हुए। **5** दिसंबर **2011** के समेकित अपलिंकिंग दिशानिर्देश अनुलग्नक-जीजी पर उपलब्ध है। इन दिशानिर्देशों में पांच प्रकार की गतिविधियों की परिकल्पना की गयी है जिनके लिए सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इनका विवरण नीचे दिया गया हैः

(1) टीवी चैनलों की अपलिंकिंग

इस अनुमति की आवश्यकता तब होती है जब कोई कंपनी भारत के क्षेत्र किसी टीवी चैनल के सिगनल को सैटेलाइट से अपलिंक करना चाती है। इस अनुमति को टीवी चैनल द्वारा प्रसारित किये जाने वाले क्रार्यक्रमों की प्रकृति के आधार पर आगे वगीकृत किया गया है। वर्तमान में, टीवी चैनलों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् समाचार और सामयिक मामले' और 'गैर-समाचार और समसामयिक मामले'। प्रत्येक श्रेणी के टीवी चैनलों के सिगनल अपलिंकिंग के लिए अलग-अलग पात्रता शर्ते निर्धारित की गयी है। एक टीवी चैनल को अपलिंक करने के लिए आवेदक कंपनी को आवेदन के साथ अन्य बातों के अलावा एक टेलीपोर्ट ऑपरेटर (तसरे पक्ष टेलीपोर्ट के मामले में) और अनुमति के लिए टीवी चैनल के प्रसारण के लिए एक सैटेलाइट कंपनी के साथ समझौते की एक प्रति संलग्न करनी होती है।

(2) अपलिंक हब/टेलीपोर्ट की स्थापना

टीवी चैनलों के सिगनलों को सैटेलाइट से अपलिंक करने के लिए प्रसारक अपना स्वयं का अपलिंकिंग हब/टेलीपोर्ट स्थापित कर सकता है या हब/टेलीपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाताओं की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। दोनों मामले में, अपलिंकिंग हब/टेलीपोर्ट की स्थापना के लिए एक अलग अनुमति की आवश्यकता होती है। ऐसी अनुमति पूरी तरह से टीवी चैनलों की सिगनलों की अपलिंकिंग के लिए अनुमति धारकों को बुनियादी ढ़ांचा सेवा प्रदान करने के लिए दी जाती है।

(3) समाचार एजेंसियों द्वारा अपलिंकिंगः

इस प्रकार की अनुमति की आवश्यकता तब होती है जब समाचार एकत्र करने की गतिविधि में लगी कोई कंपनी केवल अन्य समाचार एजेंसियों/प्रसारकों को आगे वितरण के लिए घटनाओं को अपलिंक करना चाहती है।

(iv) Use for SNG/DSNG Systems:

This type of permission is required when a company wants to use SNG/DSNG systems for any live coverage/ footage collection and transmission to satellite.

(v) Temporary uplinking for any live event:

MIB also issues permission for temporary uplinking for live events to non-news category channels on case to case basis. Further, such permission is required to be obtained by foreign entities which want to cover and uplink any live event/specific programme of temporary duration occurring within the territory of India. The footage so uplinked is primarily for the usage abroad by the foreign entity and cannot be downlinked in India without downlinking permission and registration of the channel.

DOWNLINKING OF SIGNALS OF TELEVISION CHANNELS

Likewise the uplinking, the downlinking of satellite TV channels is also regulated by the Central Government. The first policy guidelines applicable for downlinking of satellite television channels in India for public viewing were notified by MIB on 11th November, 2005. Consequently, no person/ entity was allowed to downlink a satellite TV channel in India, which has not been registered by MIB under the said guidelines. The Government, in supersession of the previous guidelines, notified the revised set of policy guidelines for downlinking of television channels dated 5th December, 2011. These guidelines envisage prior permission/registration of a TV channel with the Central Government when a company intends to downlink signals of TV channel for public viewership in India, irrespective of whether such signals of the TV channel have been uplinked to the satellite from within the territory of India or from outside the territory of India. There is no separate eligibility condition prescribed for downlinking of "News & Current Affairs" and "Non-News & Current Affairs" category channels. The policy guidelines for downlinking of satellite TV channels dated 5th December, 2011 is available at Annexure-ggg.

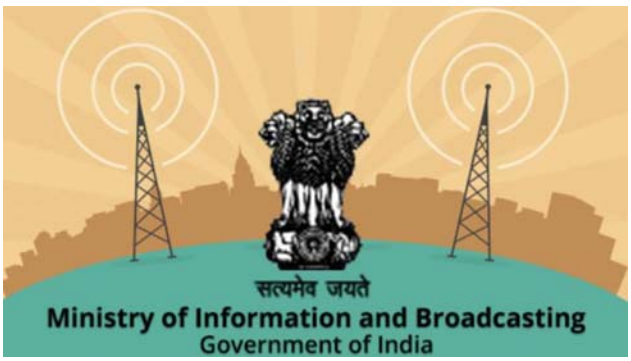

RELEVANT STATUTORY PROVISIONS

The broadcasting of a TV channel through satellite

(4) एसएनजी/डीएसएनजी सिस्टम के लिए उपयोगः

इस प्रकार की अनुमति की आवश्यकता तब होती है जब कोई कंपनी किसी लाइव कवरेज/फुटेज संग्रह और सैटेलाइट पर प्रसारण के लिए एसएनजी और डीएसएनजी सिस्टम का उपयोग करना चाहती है।

(5) किसी भी लाइव इवेंट के लिए अस्थायी अपलिंकिंगः

एमआईबी मामले दर मामले के आधार पर गैर समाचार श्रेणी के चैनलों के लिए लाइव इवेंट के लिए अस्थायी अपलिंकिंग की अनुमति भी जारी करता है। इसके अलावा, ऐसी अनुमति विदेशी संस्थाओं द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक है जो भारत के क्षेत्र के भीतर होने वाले अस्थायी अवधि के किसी भी लाइव इवेंट/विशिष्ट कार्यक्रम को कवर और अपलिंक करना चाहते हैं। इस प्रकार अपलिंक किया गया फुटेज मुख्य रूप से विदेशी इकाई द्वारा विदेश में उपयोग के लिए है और चैनल की डाउनलिंकिंग अनुमति और पंजीकरण के बिना इसे भारत में डाउनलिंक नहीं किया जा सकता है।

टेलीविजन चैनलों के सिग्नल की डाउनलिंकिंग

इसी प्रकार सैटेलाइट टीवी चैनलों की अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग को भी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में जनता के देखने के लिए सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को डाउनलिंक करने के लिए लागू पहले नीति दिशानिर्देश **11** नवंबर **2005** को एमआईबी द्वारा अधिसूचित किये गये थे। परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति/संस्था को भारत में सैटेलाइट टीवी चैनलों को डाउनलिंक करने की अनुमति नहीं दी गयी, जिसे उक्त दिशानिर्देशों के तहत एमआईबी द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है। सरकार ने पिछले दिशानिर्देश के स्थान पर **5** दिसंबर **2011** को टेलीविजन चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए नीति दिशानिर्देशों के संशोधन सेट को अधिसूचित किया। इस दिशानिर्देशों में केंद्र सरकार के साथ टीवी चैनल की पूर्व अनुमति /पंजीकरण की परिकल्पना की गयी है, जब कोई कंपनी भारत में सार्वजनिक दर्शकों के लिए टीवी चैनल के सिगनल डाउनलोड करने का इरादा रखती है, भले ही टीवी चैनल के ऐसे सिगनल भारत क्षेत्र के भीतर या भारत के क्षेत्र से बाहर सैटेलाइट से अपलिंक किये गया है। 'समाचार और समसामयिक मामले' और 'गैर समाचार और समसामयिक मामले' श्रेणी के चैनलों को डाउनलिंक करने के लिए कोई अलग पात्रता शर्त निर्धारित नहीं है। सैटेलाइट टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए दिनांक **5** दिसंबर **2011** के नीति दिशानिर्देश अनुलग्नक–जीजीजी पर उपलब्ध हैं।

संबंधित वैधानिक प्रावधान

सैटेलाइट के माध्यम से एक टीवी चैनल के प्रसारण में पिक्चर, ऑडियो

involves transmission and reception of electromagnetic signals conveying images, sounds and data. The facilities set up for broadcasting of satellite TV channels requires wireless operating license under the India Telegraph Act 1885, before its setup and made operational. Further, as per uplinking permission granted by MIB for a TV channel, uplinking of signals of satellite TV channels having valid permission from MIB, requires separate permission/ endorsement from WPC. The section 4 of Indian Telegraph Act states that the Central Government has the exclusive privilege of establishing, maintaining, and working telegraphs within India. It also provides that the Central Government may grant a license, on such conditions and in consideration of such payments as it thinks fit, to any person to establish, maintain or work a telegraph within any part of India.

The word "Telegraph", in the Indian Telegraph Act 1885 has been defined as:

"'telegraph' means any appliance, instrument, material or apparatus used or capable of use for transmission or reception of signs, simnals, writing, images and sounds or intelligence of any nature by wire, visual or other electro-magnetic emissions, radio waves or Hertzian waves, galvanic, electric or magnetic means."

It is evident that the Indian Telegraph Act 1885 and its subsequent amendments define "telegraph" very broadly to include most modern communication systems irrespective of their underlying technology. Accordingly, the statutory basis of uplinking and downlinking policy can be traced to the India Telegraph Act 1885. Further the permissions issued under policy guidelines for uplinking and downlinking of TV channels comes under the ambit of Section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885. The issues relating to satellite TV channels listed by MIB in its reference letter dated August 21st, 2017 can be broadly classified into following categories:

(i) Definition of 'News and Current Affairs channels', and 'Non-News and Current Affairs Channels';
(ii) Net-worth of eligible companies;
(iii) Processing fee for application;
(iv) Grant of license/ permission for Satellite TV Channels;
(v) Entry Fee and License Fee;
(vi) Encryption of TV channels;
(vii) Operationalization of TV channel;
(viii) Transfer of License;

और डेटा को प्रसारित करने वाले विद्युत चुंबकीय सिगनलों का प्रसारण और रिसेप्शन शामिल है। सैटेलाइट टीवी चैनलों के प्रसारण के लिए स्थापित सुविधाओं को इसकी स्थापना और संचालन से पहले भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम **1885** के तहत वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक टीवी चैनल के लिए एमआईबी द्वारा दी गयी अपलिंकिंग अनुमति के अनुसार एमआईबी से वैध अनुमति वाले सैटेलाइट टीवी चैनलों के सिगनलों की अपलिंकिंग के लिए डब्लूपीसी से अलग अनुमति/अनुमोदन की आवश्यकता होती है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा **4** में कहा गया है कि केंद्र सरकार को भारत के भीतर टेलीग्राफ की स्थापना, रखरखाव और संचालन का विशेष विशेषाधिकार प्राप्त है। इसमें यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी हिस्से में टेलीग्राफ स्थापित करने, बनाये रखने या काम करने के लिए ऐसी शर्तों पर और ऐसे भुगतानों पर विचार करके, जैसा वह उचित समझे, लाइसेंस दे सकती है।

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम **1885** में 'टेलीग्राफ' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

'टेलीग्राफ का अर्थ है तार, दृश्य या अन्य इलेक्ट्रॉनिक–मैगनेटिक उत्सर्जन, रेडियो द्वारा सिगनलों, सिगनलों, लेखन, वीडियो या किसी भी प्रकृति की बुद्धिमत्ता के प्रसारण और रिसेप्शन के लिए उपयोग किया जाने वाला या उपयोग करने में सक्षम कोई भी उपकरण, उपकरण, सामग्री या उपकरण या हार्टजियन तरंगे, गैल्वेनिक, इलेक्ट्रिक या चुंबकीय साधन।'

यह स्पष्ट है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम **1885** और उसके बाद के संशोधनों में 'टेलीग्राफ' को बहत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें अधिकांश आधुनिक संचार प्रणालियों को उनकी अंतर्निहित तकनीक के बावजूद शामिल किया गया है। तदनुसार, अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग नीति का वैधानिक आधार भारत टेलीग्राफ अधिनियम **1885** में खोजा जा सकता है। इसके अलावा टीवी चैनलों की अपलिंकिंग और डउनलिंकिंग के लिए नीति दिशानिर्देशों के तहत जारी अनुमतियां भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, **1885** की धारा **4** के दायरे में आती है।

21 अगस्त **2017** के अपने रेफ्रेंस पत्र में एमआईबी द्वारा सूचीबद्ध सैटेलाइट टीवी चैनलों से संबंधित मुद्दों को मौटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वगीकृत किया जा सकता हैः

(**1**) समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल और गैर समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल की परिभाषा
(**2**) पात्र कंपनियों की निवल संपत्ति
(**3**) आवेदन के लिए प्रोसेसिंग शुल्क
(**4**) सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए लाइसेंस/अनुमति प्रदान करना
(**5**) प्रवेश शुल्क और लाइसेंस शुल्क
(**6**) टीवी चैनलों का एन्क्रिप्शन
(**7**) टीवी चैनलों का संचालन
(**8**) लाइसेंस का स्थानांतरण

A. DEFINITION OF 'NEWS AND CURRENT AFFAIRS CHANNELS' AND 'NON-NEWS AND CURRENT AFFAIRS CHANNELS'

As per existing guidelines, the permission for satellite TV channels are granted under two categories viz. "News and Current Affairs TV channels" and "Non-News and Current Affairs TV channels". The guidelines provides following definitions of these two categories of channels respectively:

"A News & Current Affairs TV channel means a channel which has any element of news & current Affairs in its promramme content."

and

"A Non-News & Current Affairs TV channel means a channel which does not have any element of News & Current Affairs in its promramme content."

The above mentioned definitions indicate that a 'Non-News & Current Affairs TV channel' cannot contain any element of news & current affairs in its programme content, whereas there are no restrictions on programme mix of 'News & Current Affairs TV channel'. This may result in complete freedom to channel as to what percentage of its content will actually contribute to news & current affairs. Further, though the term 'News & Current Affairs' has not been defined explicitly in the uplinking and downlinking guidelines; however this term is self explanatory. In this regard, no specific issue has come to the notice of the Authority. Any specific definition for each category of channel, beyond what is already mentioned in the policy

ए. समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल और गैर समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल की परिभाषा

मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार, सैटेलाइट टीवी चैनलों की अनुमति दो श्रेणियों के तहत दी जाती है। 'समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल' और 'गैर समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल'। दिशानिर्देश क्रमशः चैनलों की इन दो श्रेणियों की निम्नलिखित परिभाषायें प्रदान करता हैः

'एक समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल का मतलब एक ऐसा चैनल है जिसकी कार्यक्रम सामग्री में समाचार और समसामयिक मामलों का कोई तत्व हो।'

और

'एक गैर समाचार और समसामयिक मामलों वाले टीवी चैनल का मतलब ऐसा चैनल है जिसके कार्यक्रम सामग्री में समाचार और समसामयिक मामलों का कोई तत्व न हो।'

उपयुक्त परिभाषाओं से संकेत मिलता है कि एक 'गैर–समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल' में अपने कार्यक्रम की सामग्री में समाचार और समसामयिक मामलों का कोई तत्व शामिल नहीं हो सकता है, जबकि 'समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल के कार्यक्रम मिश्रण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।'इसके परिणामस्वरूप चैनल को पूरी स्वतंत्रता मिल सकती है कि उसकी सामग्री का कितना प्रतिशत वास्तव में समाचार और समसामयिक मामलों में योगदान देगा। इसके अलावा, हालांकि अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों में समाचार और समसामयिक मामले शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि यह शब्द स्वयं व्याख्यात्मक है। इस संबंध में कोई विशेष मामला प्राधिकरण के संज्ञान में नहीं आया है। चैनल की प्रत्येक श्रेणी के लिए नीति दिशानिर्देशों

Table1: Net-worth for permission for uplinking and downlinking of TV channels

S. No.	Permission	Net-worth
1.	For uplinking of non-'news & current affairs TV channel'	For 1st TV channel: **Rs. 5 Crore** For each additional TV channel : **Rs. 2.5 Crore**
2.	For uplinking of 'news & current affairs TV channel'	For 1st TV channel: **Rs. 20 Crore** For each additional TV channel : **Rs. 5 Crore**
3.	For downlinking of TV channel	For 1st TV channel: **Rs. 5 Crore** For each additional TV channel: **Rs. 2.5 Crore**

guidelines, may also have the risk of leaving vacant space in between these two definitions.

Apropos the above, the issue for consultation is:

(a) Is there any need to redefine 'News and Current Affairs TV channels', and 'Non-News and Current Affairs TV channel' more specifically? If yes, kindly suggest suitable definitions of 'News and Current Affairs TV channels' and 'Non-News and Current Affairs TV channels' with justification.

B. NET-WORTH OF ELIGIBLE COMPANIES

MIB in its reference has mentioned that, may be due to low entry barriers, such as net-worth requirement for Rs. 5.00 Crore only for obtaining permission/ license for uplinking or downlinking of TV channels, non serious players are able to obtain the same. As per MIB's letter, later on such licenses are either traded or leased to different entity.

As per the extant policy framework, an applicant entity seeking permission for uplinking or downlinking of TV channel must be a company registered in India under the Indian Companies Act, 1956. Further, the applicant company should also satisfy the following networth requirements for obtaining uplinking and downlinking permissions:

To ensure that only serious players, who are interested in the business of satellite TV channels and operating the channels on their own, apply for obtaining permission/ license for uplinking or downlinking of TV channels, one way could be to increase the entry barriers. The other way could be to eliminate the incentives which encourage trading and/ or sub-leasing of licenses. Further, subleasing or trading of channels can also be controlled by putting in place certain checks which discourages such practices.

Television broadcasting services is a capital intensive business. The investment is required in production of programs, uplinking/downlinking of TV channels, transponder charges, spectrum usage charges, network establishment, marketing and distribution cost, and other establishment charges. Further the cost structure of news, and non-news channels vary significantly. It also requires continuous technology up-gradation, and capability to face competition from within and outside India. So, one view could be that the companies, who have the necessary financial strength, enter this business. Net-worth of the applicant company is an important parameter for gauging the financial standing of the company and therefore it must be substantially increased.

में पहले से उल्लेखित किसी भी विशिष्ट परिभाषा से परे इन दो परिभाषाओं के बीच रिक्त स्थान छोड़ने का जोखिम भी हो सकता है।

उपरोक्त के अनुरूप परामर्श का मुद्दा यह हैः

(ए) क्या समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल' और गैर समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल को अधिक विशेष रूप से फिर से परिभाषित करने की कोई आवश्यकता है?यदि हां, कृपया औचित्य के साथ 'समाचार और समसामयिक मामलों वाले टीवी चैनलों और गैर समाचार और समसामयिक मामलों वाले टीवी चैनलों की उपयुक्त परिभाषा सुझायें।

बी. पात्र कंपनियों की निवल संपत्ति

एमआईबी ने अपने रेफ्रेंस में उल्लेख किया है कि कम प्रवेश बाधाओं के कारण हो सकता है, जैसे कि टीवी चैनलों के अपलिंकिंग या डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने के लिए केवल 5.00 करोड़ रुपये के नेटवर्थ की आवश्यकता, गैर-गंभीर खिलाड़ी इसे प्राप्त करने में सक्षम हैं। एमआईबी के पत्र के अनुसार बाद में ऐसे लाइसेंसों का या तो व्यापार किया जाता है या विभिन्न संस्थाओं को पट्टे पर दिया जाता है।

मौजूदा नीति ढ़ांचे के अनुसार टीवी चैनल की अपलिंकिंग या डाउनलिंकिंग की अनुमति मांगने वाली आवेदक इकाई को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक कंपनी को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग अनुमति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नेटवर्थ आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिएः

यह सुनिश्चित करने के लिए केवल गंभीर खिलाड़ी, जो सैटेलाइट टीवी चैनलों के व्यवसाय में रूचि रखते हैं और स्वयं चैनलों का संचालन कर रहे हैं, टीवी चैनलों की अपलिंकिंग य डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं, एक तरीका यह हो सकता है कि प्रवेश बाधाओं को बढ़ाया जाये। दूसरा तरीका उन प्रोत्साहनों को खत्म करना हो सकता है जो लाइसेंस के व्यापार और/या उप-पट्टे को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा, चैनलों के उप-पट्टे या व्यापार को कुछ निश्चित नियंत्रण लगाकार भी नियंत्रित किया जा सकता है जो ऐसी प्रथाओं को हतोत्साहित करता है।

टेलीविजन प्रसारण सेवा एक गहन पूंजी व्यवसाय है। कार्यक्रमों के उत्पादन, टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग, ट्रांसपौंडर शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, नेटवर्क स्थापना, विपणन और वितरण लागत और अन्य स्थापना शुल्क में निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा समाचार और गैर समाचार चैनलों की लागत संरचना में काफी भिन्नता होती है। इसके लिए निरंतर तकनीकी अपडेट और भारत के भीतर व बाहर से प्रतिस्पर्धा का सामना करने की क्षमता की भी आवश्यकता है। इसलिए, एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि जिन कंपनियों के पास आवश्यक वित्तीय ताकत है, वे इस व्यवसाय में प्रवेश करें। आवेदक कंपनी की नेटवर्थ कंपनी की वित्तीय स्थिति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है और इसलिए इसमें काफी वृद्धि होनी चाहिए।

No. 1403/05/2023-Tv (I)
Government of India
Ministry of Information & Broadcasting
'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi - 110001

Dated: 0 1.09.2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification regarding minimum net worth requirement for 'Downlink Only' satellite TV Channels under the Policy Guidelines for Uplinking and Downlinking of Satellite Television Channels in India, 2022 -reg.

क्रमांकः-1403/19/2022-टीवी (आई)
भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन, नयी दिल्ली-110001

तारीखः **01.09.2023**

कार्यालय ज्ञापन

विषयः भारत में सैटेलाइट चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नीति दिशानिर्देश, **2022** के तहत 'केवल डाउनलिंक' सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण।

(Amount in Crores)

Sl. No.	Item	Minimum Net Worth as per 2011 guidelines	Minimum Net Worth as per Policy Guidelines 2022	
1.	For Downlinking of First (Non-News or News & Current Affairs) Television Channel	5.00	First News	20.00
			First Non-News	5.00
2.	For Downlinking Each Additional TV Channel	2.50	Additional News	5.00
			Additional Non-News	2.50

This Ministry has received representations from broadcasters having permission for 'Downlink only' TV channels who are struggling to meet the revised minimum networth requirement as per the revised Guidelines for Uplinking and Downlinking of Satellite Television Channels in India,2022 issued on 09.11.2022. As per Policy Guidelines, 2022, the networth requirement for Downlink Only' channel had been increased viz-a-viz policy guidelines, 2011 as below:

2. Existing permission holders have brought to the Ministry's attention the following issues, namely:
(a) That they serve as exclusive distributors of 'Downlink only' TV channels wherein they serve solely as intermediaries responsible for channel distribution to DTH and cable operators. They do not engage in content creation or editorial control. Their function is essentially that of a conduit for transmitting content, and thus, the need for a high net worth is unwarranted.

(b) Further, for international channels, it has been pointed out that the downlinking permission is obtained

इस मंत्रालय को 'केवल डाउनलिंक' टीवी चैनलों की अनुमति वाले प्रसारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो **09.11.2022** को जारी भारत में सैटेलाइट टीवी चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए संशोधित दिशानिर्देश **2022** के अनुसार संशोधित न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नीति दिशानिर्देश **2022** के अनुसार डाउनलिंक ओनली चैनल के लिए नेटवर्थ की आवश्यकता को नीति दिशानिर्देश **2011** के अनुसार निम्नानुसार बढ़ाया गया थाः

2. मौजूदा अनुमति धारकों ने मंत्रालय के ध्यान में निम्नालिखित मुद्दे लाये हैंः अर्थात् (ए) कि वे 'केवल डाउनलिंक' टीवी चैनलों के विशेष वितरक के रूप में काम करते हैं, जिसमें वे डीटीएच और केबल ऑपरेटरों को चैनल जिम्मेदार मध्यस्थ के रूप में पूरी तरह काम करते हैं। वे सामग्री निर्माण या संपादकीय नियंत्रण में संलग्न नहीं है। उनका कार्य अनिवार्य रूप से सामग्री प्रसारित करने के लिए एक माध्यम का है, और इस प्रकार उच्च निवल मूल्य की आवश्यकता अनुचित है।

(बी) इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय चैनलों के लिए यह बताया गया है कि डाउनलिंकिंग की अनुमति स्थानीय एजेंट के माध्यम से प्राप्त

through a local agent. The agent's primary responsibility is to ensure compliance with regulatory guidelines and distribute the channel to operators. Their income primarily comes from distribution fees, making their role more about logistics and administration rather than substantial financial investment. These distributors do not engage in producing or curating content, eliminating the need for investment in content creation infrastructure. As a result, the financial burden associated with maintaining a significant net worth is disproportionate to their role and responsibilities.

(c) The operations of Downlink only' distributors involve basic logistics, such as managing transmissions, negotiating with operators, and ensuring regulatory compliance. This typically requires a small office space and minimal staff, making the need for an extensive net worth unnecessary. Thus, requiring a high net worth could potentially divert financial resources away from actual distribution
operations.

(d) Downlink only' distribution is often an attractive business venture for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) due to its manageable operational requirements and revenue potential. Imposing a high net-worth requirement could deter such entities from entering the market, limiting healthy competition and innovation.

3. The representation of these 'Downlink only' TV channels has been considered by this Ministry and in order to remove the genuine difficulties faced by such broadcasters, it is hereby clarified that in partial modification to the Guidelines for Uplinking and Downlinking of Satellite Television Channels in India, 2022 and 0. M. dated 29.03.2023 of MIB in this regard, the net worth requirement for 'Downlink only' TV Channels will be exempted from the increase as mandated in the Policy Guidelines of 2022 only if the permission holder is in the nature of an agent/ distributor and not a content creator/ aggregator.

4. This OM is issued under Clause 37 of the Uplinking and Downlinking Guidelines, 2022 and has the approval of the Competent Authority in the Ministry.

(Vrunda Manohar Desai)
Director (BC)

की जाती है। एजेंट की प्राथमिक जिम्मेदारी नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना और ऑपरेटरों को चैनल वितरित करना है। उनकी आय मुख्य रूप से वितरण शुल्क से आती है जिससे उनकी भूमिका पर्याप्त वित्तीय निवेश के बजाय रसद और प्रशासन के बारे में अधिक हो जाती है। ये वितरक सामग्री का निर्माण या क्यूरेटिंग में संलग्न नहीं होते हैं जिससे सामग्री निर्माण बुनियादी ढ़ांचे में निवेश की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। परिणामस्वरूप, एक महत्वपूर्ण निवल मूल्य बनाये रखने से जुड़ा वित्तीय बोझ उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के अनुपात में नहीं है।

(सी) केवल डाउनलिंक वितरकों के संचालन में बुनियादी लॉजिस्टिक्स शामिल है, जैसे ट्रांसमिशन का प्रबंधन करना, ऑपरेटरों के साथ बातचीत करना और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना। इसके लिए आमतौर पर एक छोटे कार्यालय स्थान और न्यूनतम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिससे न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता अनावश्यक हो जाती है। इस प्रकार उच्च निवल मूल्य की आवश्यकता संभावित रूप से वित्तीय संसाधनों को वास्तविक वितरण से दूर कर सकती है।

(डी)केवल डाउनलिंकिंग वितरण अपनी प्रबंधनीय परिचालन आवश्यकताओं और राजस्व क्षमता के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमआई) के लिए अक्सर एक आकर्षक व्यवसायिक उद्यम है। उच्च निवल मूल्य की आवश्यकता लागू करने से ऐसी संस्थाओं को बाजार में प्रवेश करने से रोका जा सकता है, जिससे स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा और नवाचार सीमित हो सकते हैं।

(3) इन 'केवल डाउनलिंक' टीवी चैनलों के प्रतिनिधित्व पर इस मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है और ऐसे प्रसारकों के सामने आने वाली वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देशों में **2022** और इस संबंध में एमआईबी के ओएम दिनांक **29.03.2023** में आंशिक संशोधन में 'केवल डाउनलिंक' टीवी चैनलों को **2022** के नीति दिशानिर्देशों में अनिवार्य वृद्धि से छूट केवल तभी दी जायेगी जब अनुमति धारक एक एजेंट/वितरक की प्रकृति का हो, न कि सामग्री निर्माता/एग्रीगेटर का।

(4) यह ओएम अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश **2022** के खंड **37** के तहत जारी किया गया है और इसे मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त है।

(वृंदा मोहन देसाई)
निदेशक (बीसी)